सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

वित्त समिति की नवम् बैठक दिनांक 20 अगस्त, 2016 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की नवम् बैठक दिनांक 20 अगस्त, 2016 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. प्रो0 गया प्रसाद, कुलपति	अध्यक्ष
2. डा0 राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, उ0प्र0कृषि अनु0 परिषद, लखनऊ	सदस्य
3. श्रीमति संगीता राहुल, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्या
4. डा0 राघवेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि)	सदस्य
5. प्रो0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि)	सदस्य
6. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 9.1: वित्त समिति की अष्ट्म बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

12 जनवरी, 2016 को सम्पन्न अष्ट्म बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 9.2: वित्त समिति की अष्ट्म बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2016 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2016 को सम्पन्न अष्ट्म बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन कर निम्न प्रकार निर्देश दिये गये :–

16/9/16 G. Prasad

8.2: वित्त समिति की षष्टम् बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2014 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव संख्या–6.3 पर बैंक समाधानीकरण विवरण के पृष्ठ संख्या –5 पर दिनांक 27 अप्रैल, 2005 को धनराशि रु0 16800.00 नकद जमा न पाया जाने के प्रकरण पर गठित उच्च स्तरीय जांच समिति में निदेशक अनुसंधान केन्द्र, अध्यक्ष, अधिष्ठाता कृषि सदस्य, वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव नामित किये गये थे। उक्त जांच समिति को 2 माह में अपनी आख्या वित्त समिति को प्रस्तुत करने हेु अधिकृत किया गया था, वर्तमान समय तक जॉच आख्या प्रस्तुत न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जॉच समिति द्वारा 15 दिन में जॉच पूर्ण कराते हुऐ शीघ्र आख्या प्राप्त की जाये।

(कार्रवाई: निदेशक, अनुसंधान केन्द्र/वित्त नियंत्रक)

8.8: वित्त समिति षष्टम् बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2014 के निर्णयों की अनुपालन विश्वविद्यालय में महानुभावों की प्रतिमा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनुसचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय भवन, लखनऊ के आदेश संख्या– सी0एम0–118/67–कृशिअ –15–500(9)/10 दिनांक 24 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशों तथा उसके साथ संलग्न श्रीमति संगीता राहुल, सदस्या, मा0 प्रबंध परिषद के पत्र में स्व0 श्री राम मनोहर लोहिया जी, स्व0 डा0 बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी एवं स्व0 चौ0 चरण सिंह जी की प्रतिमा लगाये जाने हेतु धन की मांग उ0प्र0 शासन से करने हेतु पत्राचार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। शिक्षण लेखा शीर्ष से उक्त कार्य कराने के प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को शासन को भेजने का निर्णय लिया।

(कार्रवाई: नोडल अधिकारी, निर्माण)

16/9/16

8.9: संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बेसिक साइंस विभाग हेतु 08 शिक्षकों, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हेतु 11 संविदा शिक्षकों, कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन हेतु 02 संविदा शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संविदा शिक्षकों को धनराशि रु0 300.00 प्रति व्याख्यान की दर से प्रतिमाह धनराशि रु0 12000.00 की सीमा तक मानदेय का भुगतान करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि संविदा शिक्षकों के साथ अनुबंध पत्र अनिवार्य रुप से हस्ताक्षरित किया जायें। कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन हेतु एक गेस्ट फेकल्टी धनराशि रु0 1000.00 प्रति व्याख्यान की दर से प्रतिमाह धनराशि रु0 25000.00 की सीमा तक अध्यापन कार्य कराने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। उक्त संविदा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव उ0प्र0 के अनरू राज्य/कृषि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था का अध्ययन करते हुए विद्वत परिषद के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाई: कुलसचिव)

8.14: विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवश द्वार, 03 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैण्ड स्कैपिंग सम्बन्धी कार्यो को कराने के सम्बन्ध में महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम् तल, किसान मण्डी भवन, विभुति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या–36/पी0एस0/जी0जी0/16 दिनांक 12 जनवरी, 2016 फैक्स द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया है कि शिक्षण मद के धन को विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा एवं छात्रों के शोध कार्यो पर ही खर्च किया जाये न कि विश्वविद्यालय परिसर के रख–रखाव व अन्य कार्यो पर, इसी परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 03 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 के उपरांत शिक्षण लेखा शीर्ष से धनराशि व्यय नहीं करने के समिति द्वारा इन निर्देशों में किसी प्रकार का संशोधन करने पर वित्त समिति द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी। ***(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)***

16/9/16

B. Prasad

प्रस्ताव संख्या 9.3: वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा0 प्रबंध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी। वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि कैशबुक तथा बैंक अवशेष का मिलान कर अन्तर का समाधान करते हुऐ तत्काल कैशबुक में समाधान की प्रविष्टियॉं की जायें।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 9.4: स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन लागू किया जाना।

स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन लागू किया जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या–1021 दिनांक 17.05.2010 का अवलोकन करते हुए उक्त के प्रस्तर संख्या 02 द्वारा यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित पदो के लिये स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन लागू किया जाने पर सहमति बनी एवं मा0 प्रबंध परिषद के अनुमोदन उपरांत संबंधित प्रस्ताव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। ***(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)***

प्रस्ताव संख्या 9.5: ऑडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति।

अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में लेखाधिकारियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर अनुपालन आख्या तैयार करने के प्रयास लगातार किये जा रहें है परंतु अभी तक कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए है।

वित्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक की लम्बित ऑडिट आपत्तियों के संबंध में अपेक्षा की गयी कि लेखा विभाग द्वारा अपने स्तर से ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जायें तथा मा0 कुलपति जी का उक्त कार्य हेतु सहयोग लिया जायें।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

16/9/16

G. Prasad

प्रस्ताव संख्या 9.6: दिनांक 31 मार्च, 2016 को असमायोजित अग्रिमों की वर्तमान स्थिति के संबंध में।

दिनांक 31 मार्च, 2016 तक असमायोजित अग्रिमों की वर्तमान स्थिति के संबंध में मा0 वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि आगामी बैठक में असमायोजित अग्रिमों की अद्यावधिक सूची ही उपलब्ध करायी जाये। साथ ही साथ उक्त के संबंध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा संबंधित शिक्षकों/कर्मियों को अपने कार्यालय में बुलाकर समायोजन हेतु निर्देशित किया जा रहा है तथा इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे है। वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि लेखा विभाग द्वारा अपने स्तर से अग्रिम समायोजन हेतु प्रभावी कार्रवाई की जायें तथा मा0 कुलपति जी का उक्त कार्य हेतु सहयोग लिया जायें।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 9.7: अन्य बिन्दु :–

(क): विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक कार्यालयों में कार्यालय समय से उपरांत तथा अवकाश दिवसों में कार्यालय में कार्य करने वाले कार्मिकों को ओवरटाईम/मानदेय स्वीकृत करने के संबंध में:–

विश्वविद्यालय के कुलपति जी द्वारा कुलपति कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक कार्यालयों में कार्यालय समय से उपरांत तथा अवकाश दिवसों में कार्यालय में कार्य करने वाले कार्मिकों को ओवरटाईम/मानदेय स्वीकृत करने के संबंध में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा दिये जाने वाले मानदेय के अनुरुप प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में वित्त समिति द्वारा विचार–विमर्श करने के उपरांत प्रस्ताव शासनादेश के अनुरुप नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

16/9/16

(ख): विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में आवासित कार्मिकों के मकान किरायें में कटौती किये जाने के संबंध में:—

विश्वविद्यालय के कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में मकान किराये में चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भांति रखते हुए वर्तमान दरों में कटौती किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, मेरठ यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के पत्र का भी उल्लेख यिका गया, जिसमें चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में यथावत लागू करने की मांग की गयी। इस संबंध में वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय को कार्मिकों के वेतन से कटौती द्वारा मकान किराये के रुप में विगत तीन वर्षो में लगभग रु0 60.00 लाख धनराशि की वसूली की जा चुकी है एवं यह धनराशि विश्वविद्यालय में संरक्षित है। जिसका उपभोग संबंधित आवासों की मरम्मत, अनुरक्षण, साफ—सफाई के साथ—साथ विद्युत अनुरक्षण/व्यवस्था से संबंधित कार्यो हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त के संबंध में समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया एवं विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में रहने वाले कार्मिकों के वेतन से कटौती किये जाने वाले मकान किरायें को चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भॉति किये जाने वाले प्रस्ताव को समिति द्वारा स्थगित कर दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विगत तीन वर्षो में प्राप्त लगभग रु0 60 लाख की धनराशि का प्रयोग विश्वविद्यालय में क्रमशः चतुर्थ, तृतीय एवं उससे ऊपर की श्रेणी के निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों/वैज्ञानिकों के आवासों में तत्काल प्रभाव से मरम्मत एवं अनुरक्षण की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(कार्रवाई: नोडल अधिकारी, मरम्मत एवं अनुरक्षण)

G. Prasad

16/9/16

(ग): विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर 03 फिजिकल शिक्षण अनुदेशक (02 पुरुष एवं 01 महिला) तथा 01 म्यूजिक अनुदेशक एवं 01 कोरियोग्राफी अनुदेशक रखे जाने के संबंध में।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर 03 फिजिकल शिक्षण अनुदेशक (02 पुरुष एवं 01 महिला) तथा 01 म्यूजिक अनुदेशक एवं 01 कोरियोग्राफी अनुदेशक रु0 12000.00 प्रतिमाह मानदेय धनराशि के आधार पर रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा मा0 प्रबंध परिषद में अनुमोदन हेतु स्वीकृत किया।

(कार्रवाई: अधिष्ठाता, छात्र कल्याण)

(घ): विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में 02 संविदा शिक्षकों को रखे जाने के संबंध में।

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय द्वारा कृषि महाविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में 02 संविदा शिक्षकों को मानदेय रु0 12000.00 धनराशि के आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा मा0 प्रबंध परिषद में अनुमोदन हेतु स्वीकृत किया गया।

(कार्रवाई: अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय/कुलसचिव)

G. Prasad

16/9/16

(ङ): विश्वविद्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरन वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने से संबंधित प्रस्ताव वित्त समिति की 4वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के बिन्दु संख्या 4.15 एवं 8वीं बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2016 के बिन्दु संख्या 8.13 पर पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके है, जिनके द्वारा आय के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध न होने के कारणवश सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना लागू करने के पूर्व अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ही कार्रवाई करे।

वित्त समिति द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों की भांति स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबंध परिषद की स्वीकृत हेतु अनुमोदित किया गया। ***(कार्रवाईः कुलसचिव)***

अनुमोदित

16/9/16

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक/सचिव, वित्त समिति

(डा0 गया प्रसाद)
कुलपति/अध्यक्ष, वित्त समिति